न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 98/2010/223 आर टी ए

सुरेन्द्र पाल (फौत)

रघुवीरसिंह पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मु0 परमेश्वरी पत्नि स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णचन्द्र उर्फ कृष्णकुमार पुत्र स्व. लाधूराम (फौत)

2/1 श्रीमति कौशल्यादेवी पत्नि कृष्णचन्द उर्फ कृष्णकुमार पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. मु0 राजेश्वरी पुत्री लाधूराम पत्नि स्व. साहबराम जाति जाट निवासी ममेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. मु0 राजदुलारी पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि प्रेमजी जाति जाट निवासी भागूवाला तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
5. मु0 चन्द्रकला पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि सुभाष जाति जाट निवासी हीरावाली तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
6. मु0 इन्द्रामोहनी पुत्री स्व. लाधूराम पत्नि भानीराम भुंवाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कमला पत्नि स्व. राजाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. प्रेमप्रकाश पुत्र स्व. राजाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. सुमनप्रकाश पुत्र स्व. राजाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. मु0 पुष्पाकुमारी पुत्री स्व. राजाराम पत्नि राजेन्द्र भादू जाति जाट निवासी छवि सिनेमा के पास सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. मु0 सुषमा पुत्री स्व. राजाराम पत्नि सुभाष मेहरिया जाति जाट निवासी कूदन तहसील व जिला सीकर।
12. साहबराम फौत

12/1 अशोक पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

12/2 रमेश पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

12/3 संदीप पुत्र स्व. साहबराम पुत्र स्व. मनफूल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

12/4 मु. सरिता पुत्री स्व. साहबराम पत्नि देवेन्द्र भादू जाति जाट निवासी ब्यास कॉलोनी के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

12/5 मु0 विनीता पुत्र स्व. साहबराम पत्नि उग्रसैन जाति जाट निवासी जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

12/6 अनिता पुत्री स्व0 साहबराम पत्नि रूचिन ज्याणी जाति जाट निवासी कटेडा तहसील व जिला फाजिल्का।

13. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

14. सुरेन्द्रपाल अपीलांट (फौत)

14/1 कौशल्या देवी पत्नि स्व. सुरेन्द्रपाल जाति जाट निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

14/2 बबीता पुत्री स्व. सुरेन्द्रपाल पत्नि रणजीत पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी बचेर तहसील डबवाली जिला सिरसा।

14/3 श्वेता उर्फ सीता पुत्री स्व. सुरेन्द्रपाल पत्नि रामकुमार पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी बचेर तहसील डबवाली जिला सिरसा।

——रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय 19.07.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0सं0 48/2006(75/2000) अनवानी सुरेन्द्रपाल बनाम परमेश्वरी आदि

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 13

निर्णय दिनांकः–16.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया, जिसमे प्रतिवादी ने इकबालदावा पेश किया जो दिनांक 26.05.2000 को डिक्री किया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 12 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष एक अपील सं. 153/2001 प्रस्तुत की तथा उक्त दिनांक 31.05.2005 को आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि रेस्पो0 सं. 12 को दावा पक्षकार बनाया जाकर एवं जवाब व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय प्रसारित करें। रिमाण्ड होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशो की पालना किये बिना वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील सं. 153/2001 मे पारित निर्णय दिनांक 31.05.05 मे दिये गये रिमाण्ड आदेश की पालना करते हुए निर्णय पारित नही किया और ना ही इस निर्णय मे कोई विवेचना की गई है। निर्णय दिनांक 19.07.2010 मे यह उल्लेख नही है कि यह वादपत्र कौन से वादपत्र का निस्तारण हो जाने से खारिज किया जा रहा है। रिमाण्ड निर्देशो के अनुसार रेस्पो0 सं. 12 को पक्षकार बनाया जाकर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो रेस्पो0 सं. 12 ने कोई जवाबदावा अथवा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया व ना ही साक्ष्य लेखबद्ध की। यह वादपत्र किसी अन्य वादपत्र के निस्तारण होने मात्र से खारिज नही हो सकता था तथा ना ही

कथित अन्य वादपत्र निस्तारण से यह वादपत्र स्वतः ही निस्तारित होना माना सकता था। अपीलाधीन निर्णय पारित होने से पूर्व के फर्दहकाम मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तलबी प्रतिवादीगण शेष थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह वादपत्र तलबी के अभाव मे खारिज नही किया अपितु दावा खारिज का आधार अन्य दावा का निस्तारण होना प्रकट किया गया है जो कतई गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 2/1, 3 ता 6 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का स्वीकार करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि मे 8 जीजीआर के खाता सं. 55/47 के प.न. 199/279 कि.न. 6, प.न. 200/279 कि.न. 10 कुल 2 बीघा चक 2 एमएसटीएम तहसील टिब्बी के खाता सं. 4/4 मे कुल 12.550 है0 मे 1/3 हिस्सा घरूबंटवारा मे प्राप्त होने व इस भूमि पर कब्जा काश्त होने का कथन करते हुए खातेदारी अधिकारो की घोषणा किये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया था। रेस्पो0 ने इस वादपत्र मे वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबालदावा प्रस्तुत किया हुआ है। यह भूमि अपीलांट को घरूबंटवार अनुसार प्राप्त हुई है तथा इसी के मुताबिक कब्जा काश्त है। इस अपील मे अपीलांट द्वारा याचित अनुतोष से रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने मे रेस्पो0 की सहमति है।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये अपीलांट का वादपत्र विधिवत रूप से सही खारिज किया गया है। वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट का कोइ हक व हिस्सा नही है। विवादित भूमि अकेले साहबराम की है तथा रेस्पो0 के कब्जा काश्त मे है। अपीलांट द्वारा मिथ्यां कथन करते हुए अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया, जो दिनांक 26.05.2000 को डिक्री किया गया उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 सं. 12 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष एक अपील सं. 153/2001 प्रस्तुत की तथा उक्त दिनांक 31.05.2005 को आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि रेस्पो0 सं. 12 को दावे मे पक्षकार बनाया जाकर एवं जवाब व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय प्रसारित करें। रिमाण्ड होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशो की पालना किये बिना यह उल्लेख करते हुए कि ''प्रकरण मे

वर्णित भूमि से संबंधित वाद का निस्तारण हो जाने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है'' अपीलांट का वाद खारिज कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरांत उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मे निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड निर्देशो को अनदेख करते हुए बिना विवेचन एवं विश्लेषण किये पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.07.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ